

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

विशाल सिंह बनाम शोबू सिंह

किरम धारा..... २.१२..... वाद/प्रा.पत्र

मु०न० ७१५ / 2024

तारीख ह.म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/11/23	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Ghad उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा</p>	
12/11/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">AD आदेश से जिनर</p>	<p>Moted Ghanshyam 12/11/24 अज</p>
26-11-25	<p>पत्रावली काही अधिपत्रता से अधिका पत्रावली के लिए पद सलक की अभी काही अधिपत्रता ने राजना पत्र से काही एवं परिचाही से प्रहण आपस से रामनामा हो जागे से प्रवरा के अगे प्राधिकारी नहीं चाहते हैं अतः काही अधिपत्रता से राजना पत्र पर सुनवाई दिनांक 28-11-24 से निपतरी जाती है</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा</p>	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

28-11-24 पणवली प्रहृत ह्रीं काफी अधिकतर
ने दिनांक 20-11-24 को शर्तक पर प्रहृत
उर विवेक रिमा ह्रीं प्रहृत के समर्थने
पादी एवं अतिवारी के मरुप को तद्विगत हारा
आपस के रानीगत बुरा रिमा ह्रीं पक्षधारण के
मरुप रिनी प्रगत वा विगत नही रहा। प्रहृत
को विद्वो के आधार पर निस्तारण करने का
आदेश चारा गया ह्रीं अरु काफी अधिकतर
के स्वर्ण के शर्तक पर पर विद्वो के आधार
पर वापसाली समाप्त हो जाती ह्रीं प्रहृत
केशल सुभार ही उर नम्बर से उर रिमा जाओ

अधिकारी
पणवली